न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 139/23 (वाद)
GCMS No. : 2023/416

1. श्री दूल्हासिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्रीमती फुलकुंवर पत्नी रामसिंह चुण्डावत राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।
2. श्री रामसिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।
3. श्री भूपेन्द्रसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।
4. श्री गजेन्द्रसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।
5. श्री नाहरसिंह पिता हेमसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री मोतीसिंह झाला, अधिवक्ता वादी।
2. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5

वाद अन्तर्गत धारा 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 28.02.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सख्या–2 के पिता स्व. चतरसिंह जी पिता नगसिंह जी जाति राजपुत निवासी–शोभजी का खेडा के खाते एवं आधिपत्य की कृषि आराजीयात मय एक शामलाती कुआ जिसके आराजी नम्बर–1251 है, वाके सालेरा कलॉ, तालाब के पीछे मौजा सालेरा कलॉ पटवार हल्का सालेरा कलॉ तहसील मावली में स्थित थी जिसका विवरण निम्न है आराजी नम्बर–1264 (एक हजार दौ सौ चोसठ) रकबा 6 (छः) बीघा 15 (पन्द्रह) बिस्वा, 1265 (एक हजार दौ सौ पेसठ) रकबा 0.01 (एक बिस्वा) बिस्वा, 1266 (एक हजार दौ सौ छासठ) रकबा 0.15 (पन्द्रह) बिस्वा, 1267 (एक हजार दौ सौ सतेसठ) रकबा 3.4 (तीन बीघा चार बिस्वा) बिस्वा, 1268 (एक हजार दौ सौ अड़सठ) रकबा 0.04 (चार बिस्वा) बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:38 IST
Reason: SelfAttested

(आधा बीघा), 1269 (एक हजार दौ सौ उनसीत्तर) रकबा –1 (एक) बीघा (ग्यारह) 11 बिस्वा, 1270 (एक हजार दौ सौ सीत्तर) रकबा 0.16 (सोलह) बिस्वा एवं आराजी नम्बर–1271 (एक हजार दौ सौ इकहतर) रकबा 4 (चार) बीघा 15 (पन्द्रह) बिस्वा किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा हैं। उक्त वर्णित आराजीयात मौजा शोभजी का खेडा में करीब साढे चार बीघा स्व. चतरसिंह जी के खाते एवं आधिपत्य में थी। स्वर्गीय चतरसिंह जी का निधन दिनांक 12.08.2006 ईश्वी को हो गया है तब उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती किशनकंवर तीन पुत्र रामसिंह (प्रतिवादी सं. 2) वादी एवं एक अन्य पुत्र श्री देवेन्द्रसिंह है तथा कुल पांच पुत्रीया श्रीमती धन कंवर, श्रीमती नवल कंवर, श्रीमती केसर कंवर, श्रीमती प्रताप कंवर एवं श्रीमती सरस कंवर हुई थी, इन सभी पुत्रियों का विवाह सन् 1982 ईस्वी से पूर्व तक कर दिया गया, तब से वे अपने–अपने ससुराल में रही/रह रही हैं। उक्त पुत्रीयों में से श्रीमती प्रतापकंवर का निधन 12 वर्ष पूर्व हो गया था। स्वर्गीय चतरसिंह जी की सहधर्मिणी श्रीमती किशनकंवर का निधन दिनांक 24.08.2018 को हो चुका हैं।

2. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी का सहोदर बडा भाई है शुरू से ही झगडालु एवं स्वार्थी व ओछी प्रवृति का शराबी व्यक्ति हैं। प्रतिवादी संख्या 2 के साथ उसके परिवारजन प्रतिवादी संख्या 1 पत्नी झगडालु है तथा उसके दोनो पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 व 4 भी शराबी के है एवं झगडालु प्रवृति है ये सभी मिल कर वादी को पारिवारिक समझौते के तहत् वादी के हिस्से एवं आधिपत्य में आई भूमि को येन–केन प्रकारेण हडपना चाहते है एवं वादी को अपने कब्जे व हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग नहीं करने देते है तथा आये दिन बाधा उत्पन्न करते है और चाहते है कि वादी परेशान होकर रिहायशी मकान एवं जमीन से ही अपना आधिपत्य एवं हक व अधिकार त्याग कर कही अन्यत्र चले जाये ताकि भूमि व मकानात उनको मिल जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अपने सहयोग के प्रतिवादी संख्या 5 जो मकानात एवं खेतो का पडौसी होकर झगडालु, शराबी व अवैध धंधो में लिप्त रहता है, को अपने साथ मिला रखा हैं। प्रतिवादी संख्या 5 आये दिन प्रतिवादी संख्या 2 के कहने पर वादी से झगडा फसाद करता है, शराब पीकर गाली गलोच करता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की शह पर झुठी गवाही भी देता हैं।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 व उसके परिवारजनों ने स्वर्गीय चतरसिंह जी को उनके बुढापे में बहुत ही परेशान किया है तथा स्वर्गीय चतरसिंह जी की जमीन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:38 IST
Reason: SelfAttested

उपयोग–उपभोग करने देते थे न ही वह अपने पिता व माता का भरण पोषण करता और आये दिन सारी जमीन उसके अपने कब्जे व नाम करने का दबाव डालता था, जिससे परेशान होकर प्रतिवादी संख्या–2 व उसके परिवारजनो के दबाव में आकर स्व. चतरसिंह जी ने उनके कब्जे व खाते की समस्त भूमि व मकानात् सन् 1986 में अपने तीनो पुत्रों यथा प्रतिवादी सख्या–2 (दो) रामसिंह, वादी, तीसरे पुत्र देवेन्द्रसिंह के बीच मौखिक बंटवाडा पारिवारीक समझौता से कर उन पर तीनो पुत्रो को काबिज कर दिया। प्रतिवादी सख्या–2 (दो) व देवेन्द्रसिंह वक्त विभाजन मौके पर स्वर्गीय चतरसिंह जी के साथ उपस्थित होकर विभाजन के सबुत में निशानात लगा कर सबसे अच्छा भाग को प्रतिवादी सख्या–2 (दो) ने व देवेन्द्रसिंह ने अपने हिस्से व कब्जे में कर लिया तथा सबसे खराब हिस्सा वादी के लिये छोड़ा, जिसे वादी ने अपने परिवार के हित में एवं शान्ति बनाये रखने हेतु वादी ने स्वीकार कर उस पर काबिज हुआ। स्वर्गीय चतरसिंह जी ने अपने व अपनी सहधर्मिणी श्रीमती किशन कंवर के हिस्से व कब्जे में कुछ भी नही रखा, न ही घर न जमीन। प्रतिवादी सख्या–2 (दो) ने चालाकी से स्वर्गीय चतरसिंह जी को यह बता कर कि तीनो पुत्र प्रत्येक प्रतिवर्ष एक–एक बोरी मक्का व एक–एक बोरी गेहूं अपने माता–पिता को देगें एवं प्रतिवादी सख्या–2 (दो) व वादी 250–250 रूपया भी माता–पिता को अदा करेगें परन्तु सन् 1986 से लेकर माता के निधन तक प्रतिवादी संख्या–2 ने मात्र एक बार 40 किलो मक्का ही दी थी। उसके अलावा न तो अनाज दिया न ही रूपये पैसे दिये। उल्टा माता–पिता के साथ खूब झगडा–फसाद प्रतिवादी सख्या–2 व उसके परिवारजन (समस्त सदस्य) करते रहते थे। प्रतिवादी संख्या–2 ने तो देवेन्द्रसिंह के साथ मिल कर मुकदमा करवा कर व स्वंय ने झूठी गवाही देकर व प्रतिवादी संख्या–5 से भी झूठी गवाही दिलवा कर, 95 वर्ष की उम्र में अपनी माता को न्यायालय में बतौर मुल्जिम खडा कर दिया तथा कई बार जान से मारने का प्रयास किया तथा प्रतिवादी सख्या–1 को छौड़ कर शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध को पुलिस ने शांति बनाये रखने के लिये व झगडा–फसाद को रोकने के लिये कई बार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही भी प्रस्तुत की है। वर्ष 1986 में पारिवारीक समझौता से जो मौखिक बंटवाडा किया गया था उसके अनुसार प्रत्येक भाई को सालेरा कला वाली जमीन में लगभग 6–6 बीघा हिस्सा प्राप्त हुआ और उस पर आधिपत्य हो गया है। जिसे में बाद बतौर याददाश्त प्रतिवादी संख्या–2 (दो) ने अपनी कलमी एक 64 पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:38 IST
Reason: SelfAttested

की कॉपी में दिनांक–09.09.1990 ईश्वी को लिख कर उस पर स्वर्गीय चतरसिंह जी एवं हम तीनो भाईयो यथा प्रतिवादी सख्या–2 (दो), मुझ वादी एवं देवेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर करवा कर, उसे प्रतिवादी सख्या–2 (दो) ने अपने पास रख लिया था एवं आज भी वह प्रतिवादी सख्या–2 (दो) के पास है उक्त लिखतम की फोटो प्रति वादी के पास है, जो वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत है। याददाश्त लिखतम् दिनांक–09.09.1990 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सख्या–2 (दो) एवं देवेन्द्रसिंह को हिस्से व कब्जे में रखी गई भूमि संलग्न नजरी नक्शा ए में दर्शा रखा है। जो वाद का भाग है। उक्त याददाश्त लिखतम दिनांक–09.09.1990 जिसे संलग्न नजरी नक्शा ए के अनुसार तीनो भाई अपने माता–पिता के निधन तक काबिज रहे परन्तु माता के निधन के पश्चात् देवेन्द्रसिंह को कुछ जमीन अपने भाणेज भोपालसिंह को मांगती राशि पेटे विक्रय करनी थी इस कारण उसने वादी से कुछ जमीन अदला–बदली करते हुऐ आराजी नम्बर–1264 (एक हजार दौ सो चोसठ) में से करीब सवा दो बीघा भूमि अपने भाणेज भोपालसिंह को विक्रय कर दी तथा शेष बची जमीन को भी देवेन्द्रसिंह ने अपनी पत्नी श्रीमती कंचन कंवर के नाम पर हस्तान्तरित कर दी। प्रतिवादी सख्या–2 (दो) का हिस्सा व आधिपत्य सन् 1986 में मौखिक पारिवारीक समझौता से जिसे बाद में दिनांक–09.09.1990 की याददाश्त लिखतम के अनुसार जो कब्जा था वह आज भी बदस्तुर कायम है अर्थात उसी हिस्से पर स्वतन्त्र रूप से प्रतिवादी सख्या–2 (दो) काबिज है। देवेन्द्रसिंह से अदला–बदली के पश्चात् वादी की भूमि एक जोत में लगभग–6 (छः) बीघा हो गई जिसके चारो ओर वादी ने पत्थरो की कोट, थुहर की बाड मय कन्टीलें तार एवं लोहे की जाली मय कन्टीलें तारो के साथ फेसिंग कर अपने भाग पर स्वतन्त्र रूप से काबिज हो उसका उपयोग उपभोग कर रहा है वादी के हिस्से में किसी अन्य का किसी तरह का दखल नही है। वादी ने सन् 1986 से लेकर आज दिनांक तक अपने हिस्से पर लाखो रूपया खर्च कर जमीन को विकसित कर दिया। वादी अपने हिस्से में फसल की निरन्तर बुआई करते हुऐ प्राप्त कर रहा है। अपने भाग पर स्वतन्त्र रूप से सिंचाई की व्यवस्था की हुई है। इसके विपरित प्रतिवादी सख्या–2 (दो) के हिस्से व कब्जे की जमीन अनउपभोगी है तथा उसमें विलायती बबुल खडे हुऐ है तथा कंचन कंवर के हिस्से व कब्जे में भी विलायती बबुल खडे है। विभाजन एवं स्व. चतरसिंह जी के निधन तक व उसके बाद में भी करीब 4–5 वर्ष तक सभी भाईयो [illegible] अपने हिस्से में फसल प्राप्त करने तक भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी का हिस्सा भी थुहर की बाड से सुरक्षित थी परन्तु अब बिना सार संभाल वह खुला पडा है। आज तारीख को सिर्फ वादी का हिस्सा एवं भोपालसिंह द्वारा खरीदा हिस्सा ही फेसिंग से सुरक्षित है। देवेन्द्रसिंह से अदला–बदली होने के पश्चात् व देवेन्द्रसिंह द्वारा अपने हिस्से को हस्तान्तरित करने के पश्चात् आज की स्थिति में मौका भूमि को संलग्न नजरी नक्शा बी में बता रखा है आज की तारीख में वादी की कब्जाशुदा भूमि के पडौस इस प्रकार है –

पूरब – आम रास्ता, आराजी नम्बर–1272 (एक हजार दौ सौ बोहतर) एवं 1263 (एक हजार दौ सो तरेसठ) पश्चिम–आराजी नम्बर–1253 (एक हजार दौ सौ तरेपन) जो की स्वर्गीय हीरसिंह जी के वारिसो का है एवं आराजी नम्बर–1255 (एक हजार पचपन) जो प्रतिवादी सख्या–5 (पांच) की है।

उत्तरः– प्रतिवादी सख्या 2 (दो) की भूमि एवं भोपालसिंह के हिस्से व कब्जे की भूमि

दक्षिण–प्रतिवादी सख्या–2 की भूमि और उसके बाद आराजी नम्बर–1267 (एक हजार दौ सौ सतेसठ) का हिस्सा, आराजी नम्बर–1268 (एक हजार दौ अडसठ), 1269 (एक हजार दौ उनसीत्तर) व 1270 (एक हजार दौ सीत्तर) श्रीमती कंचन कुंवर पत्नी श्री देवेन्द्रसिंह के हिस्से व कब्जे की जमीन।

4. उक्त मौका स्थिति में वादी के हिस्से के पुरब दिशा की तरफ वादी की स्वतन्त्र आवगी दीवारों एवं कंटिले तारो के साथ लोहे की जाली व थुहर की बाड लगी हुई है। इसी तरह वादी की भूमि के उत्तरी तरफ जो भाग प्रतिवादी सख्या–2 (दो) के हिस्से की भूमि है। उसके एवं वादी की जमीन के बीच वादी की स्वतन्त्र थुहर की बाड कंटिले तारो के साथ होकर लोहे की जाली लगी हुई है। उत्तरी तरफ शेष भाग जो भोपालसिंह का है। उसके एवं वादी की जमीनो के बीच में वादी की स्वतन्त्र रूप से थुहर की बाड एवं कंटिले तार लगे हुऐ है पश्चिमी तरफ प्रतिवादी सख्या–5 (पांच) के हिस्से व वादी के बीच में आधे भाग पर वादी के कंटिले तार व कांटो से बनी हुई बाड है व शेष आधे भाग पर वादी की पक्की पत्थरो की दीवार है। इसी तरह पश्चिम तरफ वादी के शेष हिस्से व स्वर्गीय हीरसिंह के वारिसानों के हिस्से के बीच वादी की आवगी थुहर की बाड एवं कंटिले वादी के लगे हुऐ है, दक्षिणी तरफ वादी की भूमि एवं प्रतिवादी सख्या–2 (दो) की भूमि के बीच वादी द्वारा कंटिले तार एवं लोहे की जाली अपनी स्वतन्त्र रूप से लगा रखी है। वादी की भूमि को संलग्न नक्शा में ए.बी. सी. डी बिन्दूओ से घेरा बता रखा है ए[illegible] इस [illegible]र्व लालरंग से घिरा वादी का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:38 IST
Reason: SelfAttested

बता रखा है, जो पूर्ण रूप से वादी के अपने कब्जे में है और यह भूमि लगभग 6 (छः) बीघा है प्रतिवादी सख्या–2 (दो) का हिस्सा भी लगभग 6 (छः) बीघा है। देवेन्द्रसिंह का हिस्सा जो 6 (छः) बीघा था में से भोपालसिंह व कंचन कुंवर को हस्तान्तरित किया जा चुका है तात्पर्य यह है कि सन् 1986 ईश्वी में प्रतिवादी सख्या–2 के आग्रह पर स्वर्गीय चतरसिंह जी ने तीनो पुत्रों के बीच मौखिक बटवाडा कर उस अनुसार काबिज करते हुऐ उसे याददाश्त के रूप में प्रतिवादी सख्या–2 (दो) की कलमी लिख कर उस पर स्वर्गीय चतरसिंह जी, प्रतिवादी सख्या–2, (दो) वादी एवं देवेन्द्रसिंह कों हस्ताक्षर करवा कर उक्त याददाश्त लिखतम प्रतिवादी सख्या–2 (दो) ने अपने पास रख रखी है। उसके अनुसार प्रतिवादी सख्या–2 (दो) व उसका परिवार उसके अपने हिस्से पर काबिज है, जो कि एक तिहाई है और उक्त एक तिहाई भाग को प्रतिवादी सख्या–2 ने न्यायिक कार्यों एवं पुलिस कार्यवाहीयों में भी स्वीकार कर चुका है, के अलावा शेष भूमि पर और खास तौर से प्रतिवादी सख्या– 2 (दो) वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि में दखल देने का न तो कानूनी व न ही नैतिक अधिकार है।

5. निवेदन किया कि वाद कारण दिनांक 02.07.2023 को पैदा हुआ है जब वादी अपने हिस्से की भूमि की पूरब तरफ की बनी पक्की दीवार का थोडा सा हिस्सा जो बहुत नीचा था उसे उपर चुनवाई कर रहा था तो मौके पर चारो प्रतिवादीगण 1 (एक)2 (दो), 3 (तीन), 4 (चार) गाली गलोच करते हुऐ आये और लडाई–झगडा करने लगें एवं कारीगर मजदुरो को डरा कर भगा दिया व प्रतिवादी सख्या 5 भी अपनी जमीन पर खडा होकर गाली गलोच करने लगा, व कारीगर व मजदुरो को धमकाने लगा वादी का काम रूक गया। प्रतिवादीगण हम सलाह होकर वादी को अपनी भूमि पर खेती बाडी नही करने देते है तथा मजदुरो व सिजारीयो को एवं ट्रेक्टर वालो को धमकाते रहते है। आडे आ जाते है। प्रतिवादी सख्या–1 (एक) मजदुर औरतो के साथ मारपीट पर उतारू होकर उनके घर वालो से धमकाने की बात करती है। प्रतिवादी सख्या–2,3,4, 5 शराब के आदि है। शराब पीकर आये दिन झगडा–फसाद करते है जिसे वादी को अपने हिस्से की भूमि पर खेती बाडी करने में परेशानी होती है तथा उनका यह कृत्य विधि विरूद्ध है जिसे रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अन्तिम बार वाद कारण दिनांक–09.09.2023 को पैदा हुआ जब सभी प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि अब वे वादी को खेत पर नही जाने देगें व जान से मार देगें यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:38 IST
Reason: SelfAttested

दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी को यदि संलग्न नजरी नक्शा बी से बेदखल कर देते है तो पुनः वादी को काबिज कराये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें।

6. अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक–पृथक तक निम्न आशय की डिक्री व आदेश प्रदान कराया जावें कि प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य स्वामित्व एवं हक की भूमि जो वाद–पत्र में वर्णित है एवं वाद–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा बी में वर्णित भूमि में प्रवेश न तो स्वंय करें और न ही अपने भाई–बन्धु, रिश्तेदारो एवं मित्रो आदि को ही प्रवेश करावें। प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य की भूमि में जो संलग्न नजरी नक्शा बी में बता रखी है कि परिसीमा पर स्थित दीवार, बाड, जाली, आदि को किसी तरह से क्षति न तो स्वंय पहुंचावे और न ही भाई–बन्धु, रिश्तेदार मित्रो आदि से पहुंचावे। प्रतिवादीगण को इस बात से भी पाबन्द कराया जावें कि वे स्वंय, भाई–बन्धु, रिश्तेदार मित्रगण आदि से वादी के आधिपत्य की भूमि की परिसीमा पर कोई दीवार, बाड, जाली, तार आदि टुट–फुट जावें अथवा जहां पक्की दीवार या जाली लगी हुई नही है। वहां वादी की ओर से दीवार, जाली, बाड आदि करने में किसी तरह की रूकावट या दखल नहीं करावें। प्रतिवादीगण स्वंय अथवा भाई–बन्धु, रिश्तेदार आदि वादी की आधिपत्य की भूमि जो संलग्न नजरी नक्शा बी में सुर्ख लाल रंग से बता रखा है। में वादी स्वंय नौकर, चाकर, सिजारी, मजदुरो आदि से खेती करने, हकाई जुताई व अन्य तरह से जमीन के उपयोग करने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करें तथा न ही ट्रेक्टर, हल, मशीन आदि को लाने–ले जाने को नही रोकें न ही इनके घर परिवार वालो को धमकावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 सह खातेदार है। प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादी से. 2 की पत्नि है एवं प्रतिवादी सं. 3 एवं 4 प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पुत्र है। वादी ने जो वाद माननीय आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है वह केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जो कि चलने योग्य नहीं होकर खारीज योग्य है। सह खातेदारों के विरुद्ध केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद बंटवाड़ा या घोषणा की दाद के अभाव में पोषणीय नहीं होकर खारीज योग्य है। वादी का वाद नो पजेशन नो इन्जेक्शन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:38 IST
Reason: SelfAttested

सिद्धान्त के आधार पर भी चलने योग्य नहीं होकर खारीज योग्य है क्योंकि जब तक वादी एवं सह खातेदारों के मध्य विधिक रूप से बंटवाड़ा नहीं हो जाता है तब तक राजस्व रेकर्ड में वर्णित समस्त आराजीयात पर सभी खातेदारों का समान रूप से हक एवं हिस्सा माना जाता है एवं वादी यदि वास्तव में कोई दाद माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्राप्त करना चाहता है तो वादी को सभी सह खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर बटवाड़े की दाद के साथ ही दावा प्रस्तुत करना चाहिए जो कि वादी ने नहीं किया है जिससे भी वादी का वाद चलने योग्य नहीं होकर खारीज योग्य है। वादी ने केवल मात्र अपना कब्जा साबित करने के लिए उक्त वाद मनगढन्त तथ्यों पर आधारित वाद प्रस्तुत कर दिया है जो कि चलने योग्य नहीं है वादी की यदि वास्तव में कोई दाद माननीय न्यायालय से प्राप्त करनी है तो पहले वादी को अपने हिस्से एवं कब्जे को तय करवा कर अलग खाते दर्ज करवा राजस्व रेकर्ड में अंकित करवानी होगी नहीं तो वाद वार्णित आराजीयात पर सभी खातेदारों का समान हक हिस्सा माना जावेगा जिससे किसी भी खातेदार या उसके परिवारजन के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। वादी ने अपने वाद में जो वाद कारण अंकित किया है उसका भी गलत अंकन किया है वादी को उक्त दिनांक को कोई वाद कारण प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरुद्व पैदा नहीं होता है जिससे भी वाद खारीज योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 1 से 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद सव्यय खारीज फरमाया जाने की कृपा करावे ।

8. वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब पेश कर निवेदन किया वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है न की बंटवाडा व घोषणा का है। कब्जा नही होने से इंजेक्शन का आधार नही होता है। जब तक राजस्व रेकर्ड में सभी खातेदारो का बंटवाडा नही हो जाता तब तक इंजेक्शन जारी नहीं किया जा सकता है। वादी अपना कब्जा साबित करना चाहता है इसी तरह आगे यह भी कथन किया गया है कि वाद कारण गलत अंकित किया गया है। उक्त दिनांक कोई वाद कारण पैदा नही होता है। यह कि उपरोक्त सभी आधार व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम–11 के तहत् आपत्ति योग्य नही है क्योकि उक्त प्रावधान में निम्न कारण ही वाद प्राथमिक स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। जिनमें वाद कारण अंकित नही होना, न्यायालय की अधिकारिता नही होना, किसी कानून विशेष से बाधित होना एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:38 IST
Reason: SelfAttested

कम वाद मूल्य पर वाद प्रस्तुत करना मात्र है। इस प्रकार प्रतिवादीगण की उपरोक्त आपत्तियां खारिज की जाकर उन्हे पांबद फरमाया जावें कि नोटिस मिलने की अवधी के तीन माह के अन्दर–अन्दर अपना जवाब प्रस्तुत करें। अन्त में निवेदन किया कि जवाब प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

9. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी/विपक्षी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पेज 103 की प्रति, RRD 1995 Page 764, RRT 2011 (1) Page 171, RRT 2006-07 (Supp.) Page 582 प्रस्तुत किए गए।

10. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:38 IST
Reason: SelfAttested

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

11. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा सालेराकला पटवार हल्का सालेराकला तह. मावली के खाता संख्या 405 पर दर्ज आराजी नम्बर 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271 किता 7 कुल रकबा 1.8454 हैक्टेयर भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 2 एवं अन्य खातेदार के नाम हिस्से अनुसार सहखातेदारी हक से दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 652 पर दर्ज आराजी नम्बर 1264 रकबा 1.0926 भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 2 एवं अन्य खातेदारो के नाम हिस्से अनुसार सहखातेदारी हक से दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 है एवं पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 व 4 है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 2 एवं उसके परिवार के विरूद्ध ही पेश किया गया है। **कानून की स्थिति स्पष्ट है कि एक सह–अभिधारी (संयुक्त) जोत के प्रत्येक इंच के कब्जे में माना जाता है और उसके विरूद्व कोई व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता हैं। यह विचार आर.आर.डी. 88 द्वारा समर्थित है, जिसमें अस्थायी व्यादेश की स्वीकृति और उक्त प्रश्न पर विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि–सह–अभिधारियों के मामले में, एक व्यथित सह–अभिधारी को विभाजन (बंटवारे) का एक सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त बीरबल बनाम रामसुख 1976 आर.आर.डी. 222 में भी स्पष्ट किया गया है कि एक सह–अभिधारी अपने भाई (सह–अभिधारी) के विरूद्व धारा 188 के अधीन स्थायी व्यादेश के लिए वाद नहीं ला सकता, क्योंकि सिद्धान्त में प्रत्येक पक्षकार वाद–भूमि के प्रत्येक इंच के कब्जे में रहता है। अतः एक सह अभिधारी को अन्य सह अभिधारियों को कब्जे से हटाने का कोई अधिकार नहीं हैं।** उक्त प्रकरण में भी वादी द्वारा वाद सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 2 अपने भाई, प्रतिवादी संख्या 1 अपने भाई की पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अपने भाई के पुत्रो के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया हैं, जो उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्तो के आधार पर चलने योग्य नहीं हैं। वादी द्वारा वाद में कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का मौखिक बंटवाड़ा किया गया जिसकी [illegible].09.1990 को की गई। इस संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:38 IST
Reason: SelfAttested

भी न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि यदि वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा किया जा चुका है तो रिकॉर्ड में अमलदरामद क्यों नही करवाया गया या सक्षम न्यायालय में लिखतम के आधार पर वाद प्रस्तुत कर पालना क्यों नही करवाई गई। वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी की नकल का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 सहखातेदार है। सहखातेदार का सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर कब्जे में माना जाता है। वादी का सहखातेदार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व विभाजन का वाद प्रस्तुत करना चाहिए। उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर वादीगण का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 4 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहखातेदार के विरूद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री दूल्हासिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती फुलकुंवर पत्नी रामसिंह चुण्डावत राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।
2. श्री रामसिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।
3. श्री भूपेन्द्रसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।
4. श्री गजेन्द्रसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।
5. श्री नाहरसिंह पिता हेमसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 92 ए राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 139/23 (वाद) GCMS No. : 2023/416

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहखातेदार के विरूद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.02.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:35:38 IST
Reason: SelfAttested